नहीं मिलेगा।

5. **लघु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों की सुविधा :-**

(क) लघु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों को अर्नेस्ट मनी की छूट की सुविधा मात्र वैसे कार्याआपूर्ति में मिलेगी जिस कार्याआपूर्ति के लिये वे लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) लघु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों को प्रोडक्शन प्रारम्भ करने की तिथि से 10 (दस) वर्षों तक ही अर्नेस्ट मनी की छूट की सुविधा मिलनी चाहिये। उद्योग विभाग इस पर विधिवत रूप से विचारोपरान्त निर्णय लेगा और समुचित आदेश निर्गत करेगा।

6. **सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत डिलीगेशन ऑफ पावर्स में संशोधन एवं कार्य विभागों में एकरूपता**

राज्य सरकार अधीक्षण अभियंताओं एंव कार्यपालक अभियंताओं को जो कोडल पावर्स पूर्व में उनकी पुनः देने मे सहमति की है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जबतक संघ से स्पष्ट रूप में कोडल पार्व का विवरण प्राप्त नहीं हो जाता जिन्हें वे अभियंता को फिर से दिलाना चाहते हैं तबतक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाय तो उपरोक्त समझौते निर्णय के प्रतिकूल हो। वैसे भी संहिताओं के पुनरीक्षण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति कार्य कर रही है और आशा की जाती है कि जल्द ही उनका प्रतिवेदन मिल जाय। अतः व्यापक रूप से कोई परिवर्तन बिहार अभियंत्रण सेवा संघ से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव एवं कोड रिविजन समिति की रिपोर्ट मिलने तक करना उचित नहीं समझा जाता है। पर साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि सभी कार्य विभागों के अभियंताओं की प्रदत्त एवं कार्य प्रणाली में जहाँ तक संभव हो एकरूपता लायी जाए। इसे उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) सभी कार्य विभागों में इनडीभिजुयल निविदा स्वीकृत करने की शक्ति निम्न प्रकार होगी :-

(i) कार्यपालक अभियंता–एक लाख रूपये की निविदा।

(ii) अधीक्षण अभियंता–बीस लाख रूपये की निविदा।

(iii) मुख्य अभियंता–एक करोड़ रूपये की निविदा।

(iv) एक करोड़ से अधिक की निविदा विभागीय स्तर पर गठित निविदा समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति की जायेगी। निविदा समिति उसी रूप और स्तर की होगी, जिस रूप और स्तर की सिंचाई विभाग में गठित है।

(ख) मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत लोक-निर्माण विभाग के पत्र संख्या ए2/नियम 11/77-19521 दिनांक 30 अक्टूबर 1977 के द्वारा यह निदेशित किया गया था कि एक वर्ष के अन्दर समाप्त होने वाले कार्यों के लिये प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत तक अधिक और एक वर्ष से अधिक की कार्यावधि वाले कार्यों के लिए प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत से अधिक तक की सीमा के अन्तर्गत की निवेदित राशि उचित मानी जा सकती है। इसका अनुपालन सभी कार्य विभागों में सामान्य रूप से अपेक्षित होगा।

(ग) सिंचाई विभाग के परिपत्र संख्या 9/एम 1-6047/78-1825, दिनांक 9 जून 1978 की कंडिका 3 में जो अनुसूचित दर से ऊपर किसी भी हद तक दर स्वीकृत करने की पूरी शक्ति मुख्य अभियंता को दी गई है, उसे विलोपित किया जाता है। सिंचाई विभाग के परिपत्र संख्या 9 एम-1-6047/78-1825

दिनांक 9 जून 1978 द्वारा सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करते हुए जो निदेश निर्गत किया गया था उसकी कंडिका (ख) और (ग) को तदनुसार संशोधित माना जाय।

7. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

ओदश–आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार, राँची पटना को सूचनाँ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
वि० वि० नाथन,
निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,
लोक–शिकायत ब्युरो, बिहार।

ज्ञापांक 254
दिनांक–24 फरवरी 1986

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, राँची (पटना)

वि० वि० नाथन,
निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,
लोक–शिकायत ब्युरो, बिहार।

ज्ञापांक 254
दिनांक–24 फरवरी 1986

प्रतिलिपि कार्य विभागों के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं उद्योग विभाग संकल्प की कंडिका क्रमश: 2.2 एवं 5 की उप–कंडिका (ख) पर यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई कर और इस संदर्भ में की गई कार्रवाई की सूचना यथासमय देने का कष्ट करें।

वि० वि० नाथन,
निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,
लोक–शिकायत ब्युरो, बिहार।

ज्ञापांक 254
दिनांक–24 फरवरी 1986

प्रतिलिपि सभी संबंधित स्टेट सेक्टरावेड्स। निगम एवं औद्योगिक निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

वि० वि० नाथन,
अपर मुख्य सचिव, बिहार
निगरानी आयुक्त–सह–आयुक्त एवं सचिव,
लोक–शिकायत ब्युरो, बिहार।

बिहार सरकार

जल श्रोत विकास एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

ज्ञापांक संख्या 2087

पटना, दिनांक–21 मार्च 1986

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे निदेश का कृपया पालन दृढ़तापूर्वक करें।

अखौरी अभिमन्यु प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव, सिंचाई।

मुख्य अभियन्ता का कार्यालय

सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना

(चांडिल कम्पलेक्स)

पो०–एम०जी०एम०कॉलेज, जमशेदपुर–831012

दिनांक–21 मई, 1986

प्रतिलिपि सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रशासी पदाधिकारी/दोनों प्रशाखा पदाधिकारी, चांडिल कम्पलेक्स की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे निदेश का कृपया पालन दृढ़तापूर्वक करें।

पी० पी० सिन्हा,
मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा०)।